

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

भवन प्रमंडल, सीवान/मधेपुरा/नालंदा/किशनगंज/सासाराम/अरवल/
शेखपुरा/हाजीपुर/मुजफ्फरपुर/सुपौल/समस्तीपुर/गोपालगंज/शिवहर/
बेतिया/गया/पूर्णियां/सहरसा/जहानाबाद/नवादा/बक्सर एवं भुआ।

पटना, दिनांक:- 12/12/23

विषय:- बिहार राज्य के 21 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में शौचालय निर्माण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3353 दिनांक-28.07.23 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार राज्य के 21 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों यथा सीवान, मधेपुरा, नालंदा, किशनगंज, रोहतास (सासाराम), अरवल, शेखपुरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, गोपालगंज, शिवहर, पश्चिमी चम्पारण, गया, पूर्णियां, सहरसा, जहानाबाद, नवादा, बक्सर एवं कैमूर में तीन शौचालय (पुरुष, महिला एवं दिव्यांग प्रत्येक हेतु एक-एक) का निर्माण/अपग्रेड किये जाने हेतु ₹ 25,000/- प्रत्येक शौचालय की दस के कुल 63 शौचालय हेतु कुल ₹ 15,75,000/- (पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र का वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक स्वीकृति मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य भवन लघु शीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0425-स्वच्छता मिशन एक्शन प्लान के तहत क्लीन कंज्यूमर फोरा विपत्र कोड-03-4059600510425 के तहत स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त कार्य के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से राशि भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही उक्त शौचालयों का निर्माण/अपग्रेड प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है बिहार राज्य के 21 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में शौचालयों का निर्माण/अपग्रेड प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मनीष कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 10064 (अ)

पटना, दिनांक:- 12/12/23

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (उत्तर एवं दक्षिण)/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

(17)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक—प्र02 वि0—1—33/2018

3353

/खाद्य,पटना/दिनांक 28/07/23

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय, भा0प्र0से0
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



विषय :- मांग संख्या-03 के सुसंगत शीर्ष के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

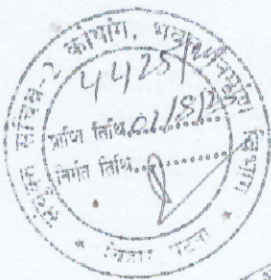
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि बिहार राज्य के 21 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों यथा सिवान, मधेपुरा, नालन्दा, किशनगंज, रोहतास (सासाराम), अरवल, शेखपुरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, गोपालगंज, शिवहर, पश्चिमी चम्पारण, गया, पूर्णियाँ, सहरसा, जहानाबाद, नवादा, बक्सर एवं कैमूर में तीन शौचालय (पुरुष, महिला एवं दिव्यांग प्रत्येक हेतु एक-एक) का निर्माण/अपग्रेड किये जाने हेतु 25,000/- रुपये प्रत्येक शौचालय की दर से कुल 63 शौचालय हेतु कुल 15,75,000/- (पंद्रह लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक स्वीकृति मांग सं0-03 के मुख्यशीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य भवन, लघु शीष 051 निर्माण, उप शीर्ष 0425 स्वच्छता मिशन एक्शन प्लान के तहत क्लीन कंज्यूमर फोरा विपत्र कोड-03 4059600510425 के तहत स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि स्वच्छता मिशन एक्शन प्लान के तहत क्लीन कंज्यूमर फोरा हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि में से कुल 15,75,000/- (पंद्रह लाख पचहत्तर हजार) रुपये का उपबंध प्रथम अनुपूरक के माध्यम से भवन निर्माण विभाग की मांग सं0 03 में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में कराया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अनुरोध है कि उक्त शौचालयों का निर्माण/अपग्रेड प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण कराने की कृपा करें।

अनु0-यथोक्त।



प्र0 पता0-(क)

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

1449/1512
2.8.23

2023-2024 प्रथम अनुपुरक आगणन के विवरण

राज्य स्कीम		SCHEME PLAN		
मतदेय		Voted		
शीर्षक (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान लियोजन लेखा होगा	आय-व्ययक	वर्तमान धनराशि	संशोधित अनुमान	अनुपुरक आगणन
	2023-2024	2023-2024	2023-2024	2023-2024
1	2	3	4	5
मार्ग सं०- 03-भवन निर्माण विभाग				
मुख्य शीर्ष- 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
60-अन्य भवन				
051-निर्माण				
0425-स्वच्छता मिशन ऐक्शन प्लान के तहत क्लीन कम्प्युमर फोरम				
	रुपये में	रुपये में	रुपये में	रुपये में
0425.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	0	0	15,75,000	15,75,000
योग-	0	0	15,75,000	15,75,000
विपन्न कोड- 03-4059-60-051-0425				

अभ्युक्ति (कैफियत) :

मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि की आवश्यकता है ।

प्रथम अनुपुरक आगणन में इस अनुसूची से निधि के उपबंध का प्रस्ताव है । इसमें विधायिका का मत प्रार्थित है ।

D